जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlp.in

पत्रांक :- BRLPS/Project/473/13/ 1251 **दिनांक** :- 4/7/14

कार्यालय आदेश

जीविका परियोजना ने ग्रामीण स्तर पर गरीब महिलाओं को जीविकोपार्जन के अतिरिक्त साधन हेतु एक व्यवसायिक उत्पादक समूह बनाने को प्रेरित किया जिसका सीधा प्रभाव महिलाओं के आय में वृद्धि के रूप में दिखना शुरू हो चुका है। इस प्रयास को अगले पायदान पर ले जाने के लिए कम्युनिटी ऑपरेशनल मैन्युअल (COM) का निर्माण किया गया है।

उत्पादक समूह ऑपरेशनल मैन्युअल (COM) जीविका परियोजना द्वारा तैयार की गयी मार्गदर्शिका है, जिससे जीविकोपार्जन के लिए बनाये गए विभिन्न प्रयोजनों से निर्मित किये गए उत्पादक समूहों के संचालन की रूप-रेखा समझी जा सके। मार्गदर्शिका का मुख्य उद्देश्य उत्पादक समूह से जुडे तकनीकी पहलुओं एवं अन्य सम्बंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाना है ताकि उनकी क्षमता एवं रूचि के अनुरूप उनमें पेशेवर उद्यमशीलता विकसित कर उन्हें जीविकोपार्जन का बेहतर विकल्प दिया जा सके। प्रस्तुत मैन्युअल; उत्पादक समूह क्या है, उसका संस्थागत विन्यास का रूप क्या हो सकता है, उसके गठन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसका वित्त पोषण कैसे किया जा सकता है, उसके लिए व्यवसायिक कार्य-योजना कैसे तैयार की जाएगी, उसका विपणन कैसे कराया जा सकता है, उसे कैसे एक आत्मनिर्भर व लाभप्रद आर्थिक इकाई बनाया जा सकता है; की बिस्तृत चर्चा करता है।

यह मार्गदर्शिका पिछले एक वर्ष से सफल रूप से संचालित उत्पादक समूहों के बुक-कीपिंग, लेखा-जोखा का अंकन, बैठकों के प्रस्तावों एवं निर्णयों के आधार पर बनायी गयी है। इस मार्गदर्शिका का स्वरुप अपने आप में गतिमान होगा जिसमें समयानुसार उत्पादक समूहों के उत्तरोत्तर लाभ की स्थिति बनाये रखने हेतु लिये गए निर्णयों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें किये जाने वाले बदलाव भविष्य में बनने वाले उत्पादक समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किये जायेंगे।

इस मार्गदर्शिका में समयानुसार उत्पादक समूह के सदस्यों एवं परियोजना में कार्यरत कार्यकर्ताओं के नए सीख एवं अनुभवों को भी शामिल किया जायेगा।

आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि यह मार्गदर्शिका केवल जीविका परियोजना एवं जीविका कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित सभी उत्पादक समूहों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

(श्रीधर सी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-
राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:

1. OSD/Director/CFO/AO/PCs/SFMs/FO/PS/PO/SPMs/PMs/AFMs
2. DPMs/FMs/BPMs/ All Thematic Managers.
3. IT Section.

कम्युनिटी ऑपरेशनल मैन्युअल (COM)

खण्ड - एक

उत्पादक समूह [PG]

जीविका

बिहार सरकार की परियोजना

कम्युनिटी ऑपरेशनल मैन्युअल (COM)

खण्ड - एक : उत्पादक समूह [PG]

प्रकाशन वर्ष : जुलाई 2014

विषय-वस्तु : श्री सुरदीप समदर्शी, प्रबंधक [नॉन फार्म & एम. ई]
श्री मुकेश कुमार, प्रबंधक [नॉन फार्म & एम. ई]
श्री देवेश कुमार, प्रबंधक [नॉन फार्म & एम. ई]
श्री विनोद कुमार, प्रबंधक [नॉन फार्म & एम. ई]
श्री विपिन कुमार, प्रबंधक [नॉन फार्म & एम. ई]
श्री मनीष कुमार, प्रबंधक [नॉन फार्म & एम. ई]
श्री श्रीनिधि कुमार, प्रबंधक [नॉन फार्म & एम. ई]

संकल्पना प्रारूप : श्री विकास कुंज, राज्य परियोजना प्रबंधक [नॉन फार्म]

सम्पादक समूह : श्री बी. के. पाठक [ओ.एस.डी]
श्री विकास कुंज, राज्य परियोजना प्रबंधक [नॉन फार्म]
श्री समीर कुमार, परियोजना प्रबंधक [नॉन फार्म]
श्री देवेश कुमार, प्रबंधक [नॉन फार्म & एम. ई]

चित्रांकन : श्री देवेश कुमार, प्रबंधक [नॉन फार्म & एम. ई]

जीविका

JEEVIKA

जीविका

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति

पटना

प्रस्तावना

उत्पादक समूह ऑपरेशनल मैन्युअल (COM) जीविका परियोजना द्वारा तैयार की गयी मार्गदर्शिका है, जिससे जीविकोपार्जन के लिए बनाये गए विभिन्न प्रयोजनों से निर्मित किये गए उत्पादक समूहों के संचालन की रूप-रेखा समझी जा सके | मार्गदर्शिका का मुख्य उद्देश्य उत्पादक समूह से जुड़े तकनीकी पहलुओं एवं अन्य सम्बंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाना है ताकि उनकी क्षमता एवं रूचि के अनुरूप उनमें पेशेवर उद्यमशीलता विकसित कर उन्हें जीविकोपार्जन का बेहतर विकल्प दिया जा सके |

किसी भी ग्रामीण परिवेश में कृषि ग्रामीण-जन की जीविका का मुख्य आधार होती है | किन्तु बढती जनसँख्या एवं खेती योग्य जमीन का क्षेत्रफल सीमित होने के चलते जीविकोपार्जन की वैकल्पिक गतिविधियों यथा - दुग्ध व्यवसाय, मुर्गीपालन या अन्य व्यावासिक गतिविधियों, यथा - विभिन्न आर्ट /क्राफ्ट कार्य; कपड़े की बुनाई; अगरबत्ती बनाना; लाह की चूड़ी बनाना; दरी बनाना इत्यादि, से उनका जुड़ाव अपेक्षित है | जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को एक जगह मिलाकर उस गतिविधि हेतु उत्पादक समूह की परिकल्पना की गयी जिससे उनके लिए अपेक्षाकृत कम लागत वाली आगत सामग्रियाँ उपलब्ध करायी जा सके, एक चिन्हित जगह पर भण्डारण किया जा सके, एक तयशुदा जगह पर उत्पादन कार्य किया जाये ताकि उत्पाद की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित की जा सके तथा अंततः एक अच्छा लाभ कमाया जा सके |इस पूरे क्रियाकलापों के सामंजस्य से एक स्व-प्रबंधित, चिर-स्थायी संस्था का विकास करना है जिससे समुदाय के पारम्परिक जीविकोपार्जन व्यवसाय को एक लाभप्रद आर्थिक इकाई के रूप में परिणत किया जा सके |

प्रस्तुत मैन्युअल; उत्पादक समूह क्या है, उसका संस्थागत विन्यास का रूप क्या हो सकता है, उसके गठन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसको वित् कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, उसके लिए व्यवासिक कार्य-योजना कैसे तैयार की जाएगी, उसका बाजार-सहलग्नता कैसे कराया जा सकता है, उसे कैसे एक आत्मनिर्भर व लाभप्रद आर्थिक इकाई बनाया जा सकता है; की बिस्तृत चर्चा करता है | इस प्रारूप को आधार मान कर किसी भी समुदाय को जीविकोपार्जन हेतु आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है |

मार्गदर्शिका बनाने के दौरान अपनाई गयी प्रक्रिया

उत्पादक समूह ऑपरेशनल मैन्युअल (COM), विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्मित किये गए उत्पादक समूहों के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक मार्गदर्शिका है, जो वर्तमान उत्पादक समूहों के व्यावसाय मॉडल से मिले सीखों एवं अनुभवों पर आधारित है | इस मार्गदर्शिका में अन्य परियोजनाओं के सफल उत्पादक समूह मॉडल को भी सम्मिलित करने की कोशिश की गयी है |

इस मार्गदर्शिका में उन व्यापारिक ज्ञान एवं व्यावसायिक मॉडल को शामिल किया गया है जो परियोजना में कार्यरत कर्मियों एवं उत्पादक समूह के सदस्यों के बीच हुए संवाद के दौरान रेखांकित की गयी थी |

यह मार्गदर्शिका पिछले एक वर्ष से सफल रूप से संचालित उत्पादक समूहों के बुक-कीपिंग, लेखा-जोखा का अंकन, बैठकों के प्रस्तावों एवं निर्णयों के आधार पर बनायी गयी है | इस मार्गदर्शिका का स्वरुप अपने आप में गतिमान होगा जिसमें समयानुसार उत्पादक समूहों के उत्तरोत्तर लाभ की स्थिति बनाये रखने हेतु लिये गए निर्णयों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी | इसमें किये जाने वाले बदलाव भविष्य में बनने वाले उत्पादक समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किये जायेंगे |

इस मार्गदर्शिका में समयानुसार उत्पादक समूह के सदस्यों एवं परियोजना में कार्यरत कार्यकर्ताओं के नए सीख एवं अनुभवों को भी शामिल किया जायेगा |

मार्गदर्शिका का उपयोग

यह मार्गदर्शिका केवल जीविका परियोजना एवं जीविका कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित सभी उत्पादक समूहों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी | यह मार्गदर्शिका प्रत्येक व्यक्ति को व्यावसाय-चक्र, अवस्था एवं प्रक्रिया से सम्बंधित चरणबद्ध प्रश्नों के उत्तर तथा जवाबदेही (जैसे -क्या करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कौन करेगा और कैसे करेगा) को समझने में सहायता प्रदान करेगी | यह मार्गदर्शिका उत्पादक समूहों द्वारा निर्मित योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने, उसके सफल संचालन हेतु सभी चरण एवं उत्पादक समूह के कोष के पेशेवर प्रबंधन करने में मददगार साबित होगी | इस प्रकार यह मार्गदर्शिका परियोजना के नियमों एवं प्रक्रियाओं को एक आम ग्रामीण तक पहुँचाने में सहायता प्रदान करेगी | नियमों एवं प्रक्रियाओं की सही जानकारी होने से परियोजना के सफल क्रियान्वयन के साथ ही साथ समुदाय के पूर्ण विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा |

मुख्य सिद्धांत

मुख्य सिद्धांत जिससे समझौता न किया जा सके | यह आशा की जाती है कि परियोजना, परियोजनाकर्मी, फैसिलिटेटर दल और समुदाय जीविका परियोजना के मुख्य सिद्धांतों का अनुसरण जरुर करेंगे | परियोजना में वर्णित सिद्धांत निम्नलिखित है :

१. **पारदर्शिता** (Transparency) : तमाम गतिविधियों के मामले में प्रत्यक्ष रूप में सभी समबद्ध पक्षों को शामिल कर सामुहिक निर्णय लिए जायेंगे और ये निर्णय स्पष्ट एवं सबकी पहुँच के दायरे में होंगे |

२. **जवाबदेही** (Accountability) : प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारियां परस्पर मिलजुलकर सामुहिक रूप से उठाई जाएँगी | संचालित की गयी कार्यवाही के लिए प्रत्येक पक्ष जिम्मेदार होगा |

३. **सहभागिता** (Participation) : परियोजना में लक्षित गरीबों, अपंगों तथा सर्वाधिक असुरक्षित समूहों का समुचित प्रतिनिधित्व करने वाले सभी पक्षों की भागेदारी सुनिश्चित की जाएगी | किसी भी स्तर पर एकतरफा निर्णय न लेकर प्रत्येक स्तर पर निर्णय में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जाएगी |

४. **समावेश** (Inclusion) : उपेक्षित, असुरक्षित और असहाय लोगों का परियोजना के साथ जुड़ाव मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत होगा | प्रत्येक स्तर के नेतृत्वकर्ता इन वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं विशेष ध्यान रखेंगें | 80-90 फीसदी कोष अत्यंत गरीब वर्गों पर खर्च की जाएगी |

५. **सुगमीकरण** (Facilitation) : परियोजना लागू करने वाले कर्मी प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेंगें और उनकी होगी की आगे चलकर परियोजना की जिम्मेदारी समुदाय को सुपुर्द कर दी जाए | परियोजना की गतिविधियाँ हाथ में लेने, उन पर निर्णय तथा उनका नियंत्रण करने के मामले में गरीबों की क्षमता पर विश्वास किया जाएगा |

६. **समता** (Equity) : परियोजना में महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी और परियोजना में लिए जाने वाले सभी निर्णयों में उनकी निर्णायक भूमिका होगी |

परियोजना के मुख्य अपरिवर्तनीय तत्व

यह परियोजना कुछ अपरिवर्तनीय तत्वों पर आधारित है जो परियोजना को लागू करने में समुदाय का मार्गदर्शन करेंगी |

समुदाय को इन सभी मुख्य अपरिवर्तनीय तत्वों पर अमल करना चाहिए :

१. स्वयं सहायता समूह के सिद्धांत का पालन करें और विकास में योगदान करें |
२. वंचित सदस्यों एवं गरीब परिवारों को प्राथिमकता दें |
३. निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता अवश्य बरतें |
४. खर्च करते समय बुद्धिमानी और किफायती से काम लें |
५. तमाम गतिविधियों में गुणवत्ता (क्वालिटी) और स्थायित्व (टिकाउपन) पर ध्यान दें |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
1. अवधारणा	6
1.1. परिभाषा	
1.2. उद्देश्य	6
2.1 संस्थागत विन्यास	7
2.2 उत्पादक समूहों का सामुदायिक संचालन	8
3. गठन प्रक्रिया	9
3.1. गठन से पूर्व	10
3.2. उत्पादक समूह निर्माण	12
3.3. कार्य एवं उत्तरदायित्व	13
3.4. विकास के चरण	15
3.5. उपसमितियों का गठन	15
4. बैठक संचालन प्रक्रिया	17
5. उत्पादक समूह के कार्य एवं गतिविधियाँ	20
7. प्रबंधन	22
8. एक सफल उत्पादक समूह का प्रारूप	25
9. परिशिष्ट	26

अवधारणा

परिभाषा -

उत्पादक समूह ऐसा स्व-प्रबंधित संगठन है जो समूह के सदस्यों द्वारा उत्पादित सामग्री के बेहतर विपणन की दिशा में कार्यरत रहता है | समूह के सदस्य, संयुक्त कार्यनीति अपनाकर उत्पादन में वृद्धि तथा उचित प्रबंधन के माध्यम से जीविकोपार्जन एवं आय प्राप्त कर बेहतर जीवन यापन करते हैं |

उत्पादन समूह का मुख्य उद्देश्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में उद्यमिता का विकास एवं इसके माध्यम से मांग-आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को स्थायी विपणन प्राप्त हो सके | उत्पादक समूह को स्थायित्व प्रदान करने हेतु निम्न योजना क्रम का अनुसरण अपेक्षित है : -

१. उत्पादन का क्रमागत योजना निर्माण
२. उत्पादन हेतु अपेक्षित कच्चे माल की व्यवस्था
३. सूचना एवं तकनीकी-प्रसार के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि
४. उत्पादित वस्तु का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन
५. गुणवत्ता नियंत्रण
६. विपणन सम्बद्धता एवं अपेक्षित व्यवस्था
७. सन्निहित जोखिम प्रबंधन

उत्पादन समूह के माध्यम से निम्नांकित सेवाएँ प्राप्त की जा सकती है : -

- खेती के लिए अपेक्षित सम्पोषण सामग्री की व्यवस्था
- उत्पादक समूह के माध्यम से कृषि-प्रसार एवं प्रशिक्षण की सुविधा
- उत्पादन समूह के माध्यम से विपणन हेतु अपेक्षित सूचना एवं जानकारी का विनिमय
- कृषि परामर्श, कृषि उपकरण क्रय एवं मरम्मती, मिट्टी, पानी एवं उर्वरक जाँच-विषयक सेवाएँ, गुणवत्ता कोटीकरण की सुविधाएँ, निवेश एवं परिवहन, भण्डारण, पैकेजिंग तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य सेवाएँ प्राप्त की जा सकती है |

उत्पादक समूह का संस्थागत स्वरुप

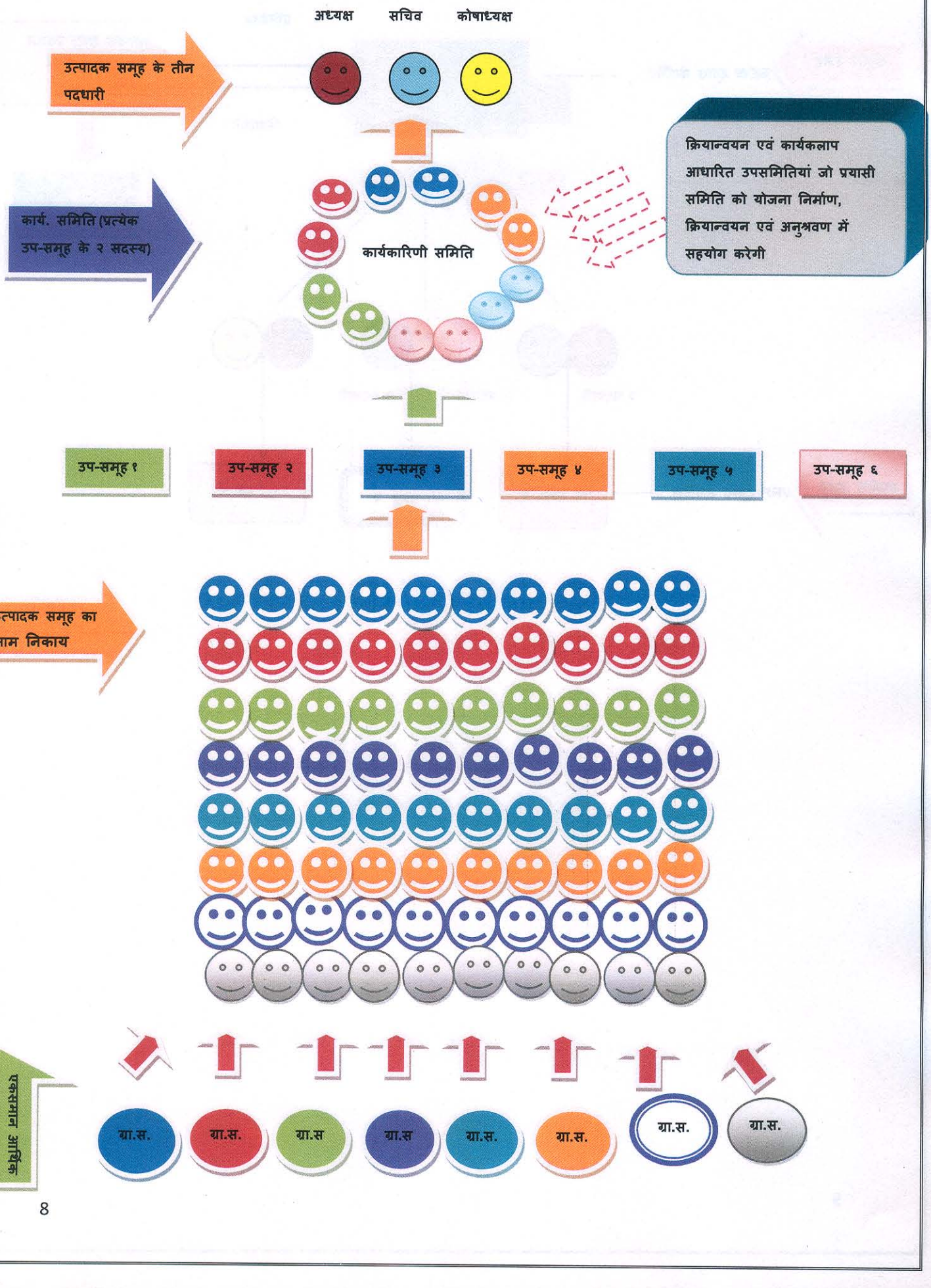

उत्पादक समूहों का सामुदायिक संचालन

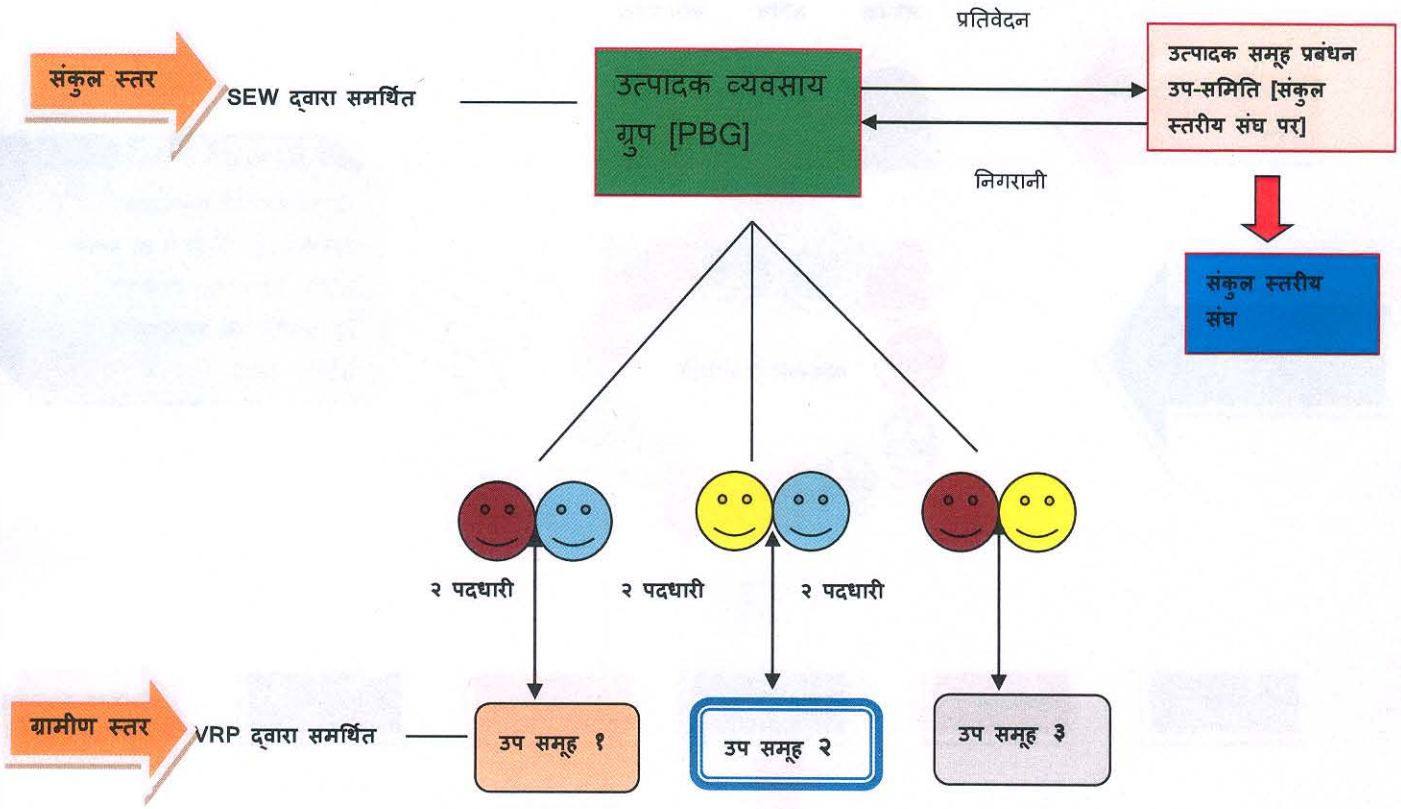

गठन प्रक्रिया

जीविकोपार्जन से सम्बंधित समरूप आर्थिक गतिविधियों की पहचान कर उनका रेखांकन- निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-संगठन स्तर पर विशिष्ट बैठक का आयोजन किया जायेगा जहाँ निर्धारित प्रपत्र में उत्पादक समूह के सदस्यों का प्राथमिक विवरण प्राप्त किया जायेगा (अनुसूची-1) | संगत विवरण, विहित-प्रपत्र में जीविका-मित्र, बुक-कीपर, वी.आर.पी अथवा सामाजिक-प्रसार कर्मियों (SEWs) द्वारा भरे जायेंगे | तदर्थ, प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट का उन्मुखीकरण जिला स्तर पर मैनेजर लाइवलीहुड्स द्वारा किया जायेगा जबकि प्रखंड स्तर पर ऐसा उन्मुखीकरण, प्रखंड परियोजना प्रबंधक अथवा लाइवलीहुडस स्पेशलिस्ट द्वारा किया जायेगा | उन्मुखीकरण का कार्यक्रम, उत्पादक समूह के गठन के पूर्व तब किया जाना चाहिए जब ग्राम-संगठन स्तर पर जीविकोपार्जन सम्बंधित आर्थिक गतिविधियों का रेखांकन हो चुका हो एवं वहां वी.आर.पी कार्यरत हो | साथ ही ग्राम- संगठन स्तर पर उत्पादक समूह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिए जाने एवं ग्राम-संगठन के क्षेत्र में जीविकोपार्जन की संभावनाओं का आकलन कर लिए जाने के पश्चात् ही उन्मुखीकरण प्रारंभ किया जाना चाहिए |

उन्मुखीकरण, परिचयात्मक दौरा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्पादक समूह से जुड़े सभी उत्पादक सदस्य तथा ग्राम-संगठन स्तर के सभी सामुदायिक संसाधन सेवी इस कार्यक्रम में सहभागी होंगे | प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि उत्पादक समूह के सभी सदस्यों तथा ग्राम-संगठन के सामुदायिक संसाधन-कर्मियों को समरूप गतिविधि में सफलतापूर्वक संलग्न किसी अन्य उत्पादक समूह का भ्रमण करा कर उसकी कार्यविधि से अवगत कराया जा सके | उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम, लाइवलीहुडस स्पेशलिस्ट एवं अन्य परियोजना कर्मियों तथा विषय-विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जायेगा |

उत्पादक समूह के गठन की प्रक्रिया

जिस गतिविधि से सम्बंधित उत्पादक समूह का गठन प्रस्तावित है, उस गतिविधि में संलग्न समुदाय सदस्यों के बीच उत्पादक समूह की अवधारणा एवं उत्पादकों के जीविकोपार्जन एवं आय वृद्धि की दिशा में उत्पादक समूह के सकरात्मक योगदान पर विमर्श किया जायेगा | उत्पादकों को यह बताना भी उचित होगा कि उत्पादित सामग्री के सन्दर्भ में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन उनकी आय वृद्धि में सहायक हो सकता है और इन गतिविधियों के सम्यक संचालन हेतु उत्पादक समूह का गठन किया जा सकता है | उत्पादक समूह की संरचना, सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति, निदेशक मंडल एवं इससे जुड़े पदधारकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व के विषय में भी सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए | इसके अतिरिक्त इसी दौरान क्षेत्रीय समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक, लाइवलीहूड्स स्पेशलिस्ट एवं सामुदायिक संसाधन-सेवी, उत्पादक समूह के गठन से सम्बंधित उत्पादित सामग्री की वर्तमान स्थिति, उत्पादन हेतु अपेक्षित संसाधन, विपणन व्यवस्था एवं उसकी व्यवसायिक सम्भावना जैसे बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे | इस प्रकार सदस्यों के साथ की जानेवाली चर्चा का प्रारूप नियमानुसार होगा :-

- सामग्री के उत्पादन हेतु अपेक्षित कच्चा माल की आपूर्ति में हिस्सेदारी तथा इस विषय में सदस्यों का क्षमता-वर्धन
- विपणन प्रक्रिया से सम्बंधित सूचना

- बेहतर उत्पादन प्रक्रिया की चर्चा
- कच्चा माल / उत्पादित सामग्री के स्थानीय स्तर पर भण्डारण की व्यवस्था
- उत्पादित सामग्री के पैकिंग तथा परिवहन की सुविधा
- उत्पादित सामग्री के लाभदायक मूल्य निर्धारण हेतु मोल-भाव
- उत्पादित सामग्री के विपणन में अपेक्षित सहयोग
- गतिविधि के संचालन हेतु अपेक्षित वित्त-पोषण का स्रोत - ग्राम-संगठन, संकुल- स्तरीय संगठन अथवा व्यावसायिक बैंक या अन्य वितीय संस्थान |

उपर्युक्त उन्मुखीकरण एवं विमर्श के उपरांत जब उत्पादक समूह के गठन पर सहमती प्राप्त हो जाये तब उत्पादक समूह से जुड़ने वाले सदस्यों की बैठक और उस स्थान का चयन किया जाना चाहिए जहाँ पूर्व से उत्पादक समूह सफलतापूर्वक संचालित हो तथा उनके परिचयात्मक भ्रमण (एक्सपोज़र) हेतु तिथि एवं समय का निर्धारण किया जाना चाहिए | यह कार्य क्षेत्रीय समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक, लाइवलीहूड्स स्पेशलिस्ट एवं सामुदायिक संसाधन-सेवी द्वारा किया जायेगा |

परिचयात्मक भ्रमण कार्यक्रम का उद्देश्य, सदस्यों को निम्नलिखित प्रक्रिया से अवगत करना है :-

१. उत्पादक समूह की निर्माण- प्रक्रिया का बेहतर एवं व्यवहारिक परिचय
२. उत्पादक समूह की सदस्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त करना
३. उत्पादन समूह की कार्य-प्रणाली की जानकारी
४. उत्पादक समूह की उपसमितियाँ, उनके कार्य एवं दायित्व
५. अनुभवों का पारस्परिक आदान-प्रदान

परिचयात्मक भ्रमण से प्राप्त अनुभवों तथा उससे प्राप्त जानकारियों पर समूह के सदस्यों के बीच चर्चा की जानी चाहिए एवं उसके बाद उत्पादक समूह के गठन हेतु तिथि एवं स्थान का निर्धारण किया जाना चाहिए |

उत्पादन समूह का गठन-

निर्धारित तिथि और स्थल पर बैठक का आयोजन कर वैसे सभी सामुदायिक सदस्यों को जिनका वस्तु-विशेष के उत्पादन में योगदान हो और जो उत्पादक समूह का सदस्य बनने का इच्छुक हो, बैठक में उपस्थित रहने के लिए बुलाया जाना चाहिए |

चित्र- उत्पादक समूह के आम निकाय की बैठक

इस बैठक के संयोजक/ समन्वयक को उत्पादक समूह की संरचना से सम्बंधित सभी संगत बिन्दुओं के विषय में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए | तत्पश्चात आम निकाय के कार्य एवं दायित्व पर भी चर्चा निम्न प्रकार की गयी -

उत्पादक समूह के सदस्यता हेतु पात्रता के बारे में बताया जाना चाहिए -

- वही व्यक्ति उत्पादक समूह का सदस्य हो सकता है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े जीविका सदस्य हो
- जिस उत्पादित वस्तु का उत्पादक समूह प्रस्तावित हो उसका प्राथमिक उत्पादक हो
- जिसकी उत्पादक समूह के नियमों में निष्ठा हो
- जो स्वेच्छा से सदस्यता शुल्क पचास रूपये देने को तैयार हो
- **एक उत्पादक समूह में एक परिवार का एक ही व्यक्ति सदस्य बन सकता है**
- **एक वक्त एक से अधिक सामग्रियों के लिए गठित उत्पादक समूहों का सदस्य हो सकता है**

सदस्यता समाप्ति कब ?

-उत्पादक समूह के नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर

-बिना सूचना दिए आम सभा की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने अथवा

-सम्बंधित स्वयं सहायता समूह की सदस्यता समाप्त होने पर समाप्त हो

आम निकाय की बैठक एवं पदधारियों का चयन:

आम निकाय की प्रथम बैठक में उत्पादक समूह के गठन के उद्देश्य पर चर्चा की जाएगी | तत्पश्चात् पदधारियों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) का आम निकाय के चुनाव प्रक्रिया द्वाराचयन किया जाएगा | इन पदधारियों का कार्य काल चक्रिय आधार पर होगा एवं पुनः चयन प्रक्रिया आम निकाय द्वारा सम्पादित की जाएगी | आम निकाय द्वारा इस बैठक में उत्पादक समूह का नामकरण आम सहमति से किया जाएगा |

उप-समूह एवं कार्यकारिणी समिति का गठन:

उप-समूह का गठन उत्पादक समूह के अन्दर सभी टोलो एवं वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया है | प्रत्येक उप-समूह का गठन 15-20 सदस्यों, टोलो के आधार पर सम्मिलित कर किया जाएगा जिसका निर्णय आम निकाय की प्रथम बैठक में लिया जाएगा |

---- प्रत्येक उप-समूह से 2-3 सदस्यों का चयन उपसमूह के सदस्यों द्वारा कार्यकारिणी समिति की लिए किया जायेगा | प्रत्येक उप-समूह से चयनित सदस्यों को मिलाकर कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा |

आम निकाय की द्वितीय बैठक:

- उपसमितियों का गठन आम निकाय की बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा किया जायेगा |
- उत्पादक समूह का बैंक एकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी | इसके लिए आवश्यक कागजातों के विषय में जानकारी सम्बंधित पदाधिकारियों की दी जाएगी |
- वी.आर.पी. चयन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श कर चयन अगले बैठक तक सुनिश्चित की जाएगी |
- उत्पादक समूह के पदधारियों, कार्यकारिणी समिति एवं उपसमितियों के कर्तव्य एवं दायित्वों पर चर्चा कर सभी को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा |
- उप-समूह भविष्य में शुरू की जाने वाली व्यवसायिक गतिविधियों का प्रारूप तय किया जाएगा |

आम निकाय की तृतीय बैठक:

- उप-समूह का बैंक एकाउंट खोलने हेतु सभी कागजातों को भर कर बैंक भेज दिया जायेगा |
- वी.आर.पी. का चयन पूरा कर लिया जाएगा |
- उप-समूह द्वारा संचालित व्यवसायिक गतिविधियों का अंशकालिक/वार्षिक विस्तृत प्रारूप एवं बजट का निरधारणकिया जाएगा |
- व्यवसायिक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा कर कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी |

आम निकाय के कार्य और उत्तरदायित्व

~ कार्यकारिणी समिति का गठन और पदधारियों- अध्यक्ष,सचिव और कोषाध्यक्ष; उप-समितियों का चुनाव
~ उत्पादक समूह के व्यवसाय प्रारूप एवं कार्य-योजना का अनुमोदन तथा नियत अंतराल पर उत्पादक समूह के कार्य की समीक्षा करना
~ बजट तथा कार्यकारिणी-समिति और पदधारकों की वित्तीय शक्तियों का अनुमोदन करना
~ कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन करना
~ अन्य नीतिगत निर्णय लेना जैसे- उत्पादक समुहों का विलय, विघटन इत्यादि

कार्यकारिणी समिति के कार्य और उत्तरदायित्व

आम निकाय के गठनोपरांत संयोजक/समन्वयक को कार्यकारिणी समिति के कार्य और उत्तरदायित्व पर चर्चा करनी चाहिए, जैसे-

कार्यकारिणी समिति के सदस्य कौन ?

प्रत्येक उपसमूह से चयनित दो सदस्य

उत्पादक समूह की मीटिंग आयोजित करना
सभी नीतिगत तथा व्यवसायिक निर्णय लेना
उप-समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना
व्यापार प्रारूप, कार्य योजना तथा बजट बनाना
सदस्यों का क्षमतावर्धन एवं कौशलवर्धन करना
कर्मचारी एवं समुदाय आधारित कैडरों का प्रबंधन
वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना
वित्तीय लेखा एवं अंकेक्षण की व्यवस्था करना
संकुल संघ तथा ग्राम संगठन के साथ समन्वय स्थापित करना

- **संयोजक/समन्वयक द्वारा कार्यकारिणी समिति के गठानोपश्चात उत्पादक समूह के पदधारकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा करना**
- **इस दौरान पदधारकों यथा अध्यक्ष, सचिव एवं कोषध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व की विस्तार पूर्वक चर्चा करनी चाहिए**

अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व:

पद-धारियों का कार्य-काल दो वर्ष का होगा

- उत्पादक समूह की नियमित बैठक कराना एवं बैठक की कार्यवाही का निर्धारण करना
- उत्पादक समूह की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना
- उत्पादक समूह के लिए लाभदायक वित्तीय निर्णय लेने में सहायता देना
- उप-समितियों के कार्य की समीक्षा करना
- उत्पादक समूह के उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए सचिव व कोषाध्यक्ष से सामंजस्य बनाए रखना
- संकुल-स्तरीय संघ या अन्य उच्च स्तरीय संस्थानों में उत्पादक समूह का प्रतिनिधित्व करना
- उत्पादक समूह के बैंक खाते का संचालन करना
- समूह में किसी विवाद के सर्वमान्य समाधान करना

सचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व

- उत्पादक समूह की बैठक आहूत करने में अध्यक्ष की मदद करना तथा सदस्यों की भागेदारी सुनिश्चित करना
- बैठक में की गयी चर्चा की कार्यवाही का अंकन सुनिश्चित करना
- उत्पादक समूह के द्वारा बनाये गए नियमों का पालन सुनिश्चित करने एवं अनुशासन बनाये रखने की जिम्मेदारी
- उप-समितियों एवं उप-समूहों द्वारा किये गए कार्यों को कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना
- बैंक खाते का संचालन करना
- उप-समूहों की बैठकों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना **(परिशिष्ट देखे....)**
- अन्य संस्थाओं से समन्वयन स्थापित करना तथा उद्येश्परक मेलजोल स्थापित करना तथा पत्र-व्यवहार करना

कोषाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व

- उत्पादक समूह द्वारा एकत्र राशि की सुरक्षा एवं उसका समुचित लेखा-जोखा रखना
- उत्पादक समूह के बैंक शेष एवं नकद राशि का संधारण
- किसी भी श्रोत से प्राप्त राशि का रसीद निर्गत करना
- किसी भी राशि की प्राप्ति एवं उसके व्यय का लेखा-संधारण करना
- उत्पादक समूह के सभी बैठकों में शामिल होना और वित्तीय लेनदेन का हिसाब प्रस्तुत करना
- मासिक वित्तीय विवरण तैयार कर इसे कार्यकारिणी समिति को, प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रस्तुत करना

उत्पादक समूह का विकास

अवधि 0 से 2 माह

i. उत्पादक समूह के सदस्य उत्पादक समूह की अवधारणा ,उद्देश्य तथा भूमिका से अवगत होंगे
ii. उत्पादक समूह का निदेशक मंडल के सदस्य अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति जागरूक होंगे
iii. उत्पादक समूह के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होंगे
iv. सभी सदस्य 50 रूपए की दर से सदस्यता शुल्क जमा करेंगे
v. उत्पादक समूह के नाम से बैंक में बचत खाता खोला जाएगा
vi. कार्य की आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त वी आर पी का चुनाव कर उसे प्रशिक्षित किया जायेगा
vii. उत्पादक समूह का कार्यालय निर्धारित किया जाएगा
viii. उत्पादक समूह का ग्राम-संगठन/संकुल स्तरीय संघ/जीविका प्रखण्ड क्रियान्वयन इकाई के साथ समझौता पत्र (MoU) हस्ताक्षरित होगा
ix. उत्पादक समूह उत्पादन-संबंधी योजना बनाना प्रारंभ करेगा
x. उत्पादक समूह में लेखा-जोखा का अंकन शुरू हो जायेगा
xi. उत्पादक समूह ग्राम संगठन एवं संकुल संघ को अपने गतिविधि के विषय में प्रतिवेदन देना प्रारंभ कर देगा

उप-समिति का गठन कार्य एवं उत्तरदायित्व

उप-समिति क्यों?

उत्पादक समूह एक व्यावसायिक व पेशेवर समूह है जो उत्पादन, उत्पादकता, बाज़ार सम्बद्धता जैसी गतिविधियों को संचालित करता है | इस व्यावसायिक इकाई में कच्चे माल की गुणवता एवं लागत मूल्य पर नियंत्रण अनिवार्य है ताकि उत्पाद की गुणवता व सदस्यों की आय में वृद्धि होती रहेगी |
ये उपसमितियां, उत्पादक समूह के निम्न कार्यों में मदद करेंगी -

- कच्चे माल की व्यवस्था करने में निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान करना
- गतिविधियों के संचालन हेतु अपेक्षित साख तथा बीमा की व्यवस्था करना
- उत्पादकता वृद्धि हेतु अपेक्षित सुविधा मुहैया करने में मदद करना
- स्थानीय स्तर पर विपरण व्यवस्था तथा गुणवत्ता संवर्धन में मदद करना
- वित्तीय प्रबन्धन में मदद करना
- सामाजिक अंकेक्षण तथा खरीददारी में मदद करना

उप-समितियों का निर्माण

उपसमिति के गठन के पूर्व उत्पादक समूह के सदस्यों को उप-समिति के निर्माण और उसके दायित्व के विषय में पर प्रशिक्षण देना चाहिए | प्रशिक्षण के उपरांत उप-समितियों के गठन पर चर्चा होना चाहिए |

उपसमितियों के निर्माण एवं उनकी भूमिका पर प्रशिक्षण

- प्रतिभागी- उत्पादक समूह के सदस्य
- प्रशिक्षक- सामुदायिक समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट

चर्चा का विषय

- उपसमिति की अवधारणा
- उपसमिति का निर्माण अथवा गठन प्रक्रिया
- उपसमिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व

<u>उपसमिति के निर्माण की प्रक्रिया</u>

आम निकाय की सहायता से कार्यकारिणी-समिति द्वारा उप-समितियों का निर्माण किया जाएगा | प्रत्येक उप-समिति में तीन-पांच सदस्य होंगे जिनका चुनाव कार्यकारिणी-समिति करेगा |

कोई भी सदस्य किसी एक समिति के ही सदस्य हो सकते है |

जब उत्पादक समूह नियमित रूप से दो महीनों तक अपनी बैठक कर लेता है तब निम्नलिखित उप-समितियों का निर्माण करना चाहिए-

- खरीददारी उप-समिति
- उत्पादकता वृद्धि उप-समिति
- लागत उप-समिति
- सामाजिक अंकेक्षण एवं वित्त उप-समिति
- कार्यों को देखते हुए आम निकाय की सदस्यों में से निदेशक मंडल द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य उप-समिति का गठन किया जा सकता है |

<u>उपसमितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व</u>

खरीददारी उप-समिति

- इस उपसमिति में आम निकाय के 3-5 सदस्य होंगें
- इस उपसमिति के कार्य निम्नलिखित होंगें -
  - विभिन्न सेवाओं या सामग्रियों के खरीद में सामुदायिक खरीददारी नियम का पालन सुनिश्चित करना
  - सभी बिलों को जांच कर सामग्री वितरण की अनुशंसा करना
  - रेट बैंक बनाना

विपणन उप-समिति -

विपणन उपसमिति में 3-5 सदस्य होने चाहिए जिनका चयन निदेशक मंडल द्वारा आम सभा के सदस्यों के बीच से किया जाएगा और इनके कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न होंगे -

- उत्पादक समूह के उत्पादों हेतु ग्राहक खोजना
- उत्पादन की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य निर्धारित करना

उत्पादकता वृद्धि उप-समिति-

इस समिति में 3-5 सदस्य होते हैं | उत्पादकता बढाने के उदेश्य से उपयोग में आने वाली तकनीकी एवं अन्य सूचना को उपलब्ध कराना एवं उनका उपयोग सुनिश्चित करना |

सामाजिक अंकेक्षण एवं वित्त उप-समिति -

* इस समिति में 3-5 सदस्य होते हैं | उत्पादक समूह स्तर पर सामुदायिक खरीददारी के अंतर्गत खरीदी गई वस्तुओ की जाँच करना|
* ग्राम संगठन /संकुल-संघ तथा अन्य वितीय संस्थाओ से प्राप्त राशियों की उपियोगिता का मूल्यांकन करना |

उत्पादक समूह की बैठक का तरीका एवं एजेंडा

उत्पादक समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बाएं से दायें सीधा, कोषाध्यक्ष के बाएं कतार बनाकर लेखापाल तथा सामुदायिक साधन-सेवी सामने आयताकार रूप में बैठेंगे
कतार से बाहर अध्यक्ष के दाहिने परियोजनाकर्मी एवं अन्य आगन्तुक सदस्य बैठेंगे
उत्पादक समूह के बैठक में उपस्थित सदस्यों से चर्चा कर प्रतिनिधियों द्वारा एजेंडा तैयार करना
उत्पादक समूह के अध्यक्ष द्वारा पिछली बैठक के प्रस्ताव एवं निर्णय की समीक्षा के उपरांत नए चर्चा के नए बिंदुओं को शामिल करना
बैठक के दौरान प्रत्येक चर्चा के विषय को बुक-कीपर द्वारा कार्यवाही पुस्तिका में लिखते जाना एवं जिन विषयों पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है, उनको अंत में बारी बारी से पढ़कर सुनाना
बैठक की कार्यवाही, बैठक में ही लिखी जाएगी तथा अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर करवा कर कार्यवाही पुस्तिका प्रतिनिधियों को सौप दी जाएगी
प्रत्येक उप-समूह से दो सदस्य कार्यकारणी की बैठक में भाग लेंगे

कार्यकारणी समिति की बैठक के लिए आदर्श कार्यसूची

क्रसं.	चर्चा का विषय	समयअवधि
1.	प्रार्थना	5 मिनट
2.	परिचय	10 मिनट
3.	उपस्थति	10 मिनट
4.	पिछले बैठक की समीक्षा	20 मिनट
5.	चर्चा के बिंदुओ का निर्धारण	20 मिनट
6.	उपसमूह की समीक्षा	20 मिनट
7.	लेखाकार, भण्डारपाल एवं वी आर पी की समीक्षा	15 मिनट
8.	उप-समिति की समीक्षा	10 मिनट
9.	अग्रिम कार्ययोजना तैयार करना	15 मिनट
10.	आय -व्यय तथा प्राप्ति-भुगतान की समीक्षा	10 मिनट
11.	बैठक की कार्यवाही का वाचन तथा उस पर हस्ताक्षर प्राप्त करना	5 मिनट

चित्र -उत्पादक समूह की बैठक

चित्र - उत्पादक समूह में प्रार्थना करतीं सदस्य

1. प्रार्थना -उत्पादक समूह अपना प्रार्थना चुनें और प्रार्थना कर बैठक की शुरुआत करें | समूह को ऐसी प्रार्थना चुननी चाहिए जिस पर उत्पादक समूह से जुड़े किसी समुदाय को आपत्ति न हो एवं जो प्रेरणादायी एवं आत्मविश्वास से भरा हो |
2. परिचय - उत्पादक समूह के प्रत्येक सदस्य को बैठक में परिचय देना चाहिए |
3. उपस्थिति -सचिव एवं लेखाकार उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति सम्बन्धित पुस्तिका में दर्ज करेंगें |
4. पिछली बैठक की समीक्षा- पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सभी उत्पादक सदस्यों को पढ़कर सुनाना चाहिए एवं लिए गए निर्णयों के आधार पर चर्चा के विषय का निर्धारण करना चाहिए |
5. चर्चा के बिंदुओ का निर्धारण- आपसी परामर्श द्वारा सभी सदस्य उत्पादन और प्रबन्धन से सम्बंधित विषय का निर्धारण कर उन पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे |
6. उप-समूह की समीक्षा - उप-समूह के सभी सदस्यों का परिचय कराया जाना चाहिए | तत्पश्चात उनकी गतिविधियों एवं समस्याओं की समीक्षा की जानी चाहिए |

7. कैडर की समीक्षा - बैठक में वी आर पी,- लेखापाल, भण्डारपाल के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए | इनके द्वारा सम्पादित किये गए कार्य यथा- नकद प्राप्ति रसीद, नकद भुगतान रसीद, मानदेय वितरण इत्यादि की समीक्षा तथा सम्बंधित पुस्तिका से मिलान होना चाहिए |

8. उपसमिति की समीक्षा - उप-समिति के कार्यों के आधार पर उनकी प्रगति की समीक्षा उत्पादक समूह की बैठक में प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इसके अतिरिक्त अगले माह में प्रत्येक उपसमिति को क्या करना है, इस बिंदु का भी निर्धारण किया जायेगा | उप-समितियों का भ्रमण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जायेगा |

9. अग्रिम कार्ययोजना तैयार करना - उत्पादक समूह, वर्तमान की स्थिति एवं सम्भावना के आधार पर भविष्य की योजना तैयार करेगा |

10 . आय -व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान की समीक्षा- कोषाध्यक्ष या लेखापाल द्वारा पिछले माह के आय-व्यय तथा प्राप्ति-भुगतान का विवरण बनाकर उत्पादक समूह की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ताकि इसकी समीक्षा की जा सके |

11. बैठक की समाप्ति - लेखाकार, उत्पादक समूह की बैठक में की गयी सभी चर्चाओं तथा उस पर लिए गए निर्णयों को सभी सदस्यों को पढ़ कर सुनायेंगे तथा सभी सदस्यों का हस्ताक्षर लेकर कार्यवाही पुस्तिका को उत्पादक समूह के प्रतिनिधियों को सौंप देंगें |

प्रत्येक बैठक में उत्पादक समूह के सभी सदस्यों को फ्लिप चार्ट द्वारा उत्पादक समूह के पंचसूत्र के बारे में अवश्य बताना चाहिए :

क. नियमित साप्ताहिक बैठक
ख. नियमित कच्चे सामग्री की माँग करना
ग. नियमित गुणवत्ता परीक्षण
घ. नियमित पुस्तिका एवं खाता-बही का अपडेट
ड. उत्पादकों को नियमित भुगतान

उत्पादक समूह के कार्य एवं गतिविधियाँ

१. **उत्पादन योजना -** वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है, समूह इस बारे में क्या सोच रहा है और भविष्य में उत्पादन की क्या सम्भावनाएं उपलब्ध हैं ?
   - बाजार सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर उत्पादन की आवश्यकता निर्धारित करेगा
   - अग्रिम राशि की मांग [तैयार माल के लिए ऑर्डर लेते समय ग्राहक से कर सकती है]
   - उत्पादक समूह अपने सदस्यों की आय वृद्धि हेतु उत्पादन-योजना तैयार करेगा | उत्पादन-योजना बनाते समय बाजार की माँग, उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध संस्थागत सुविधाएँ एवं पिछले उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता का आधार बनाया जाना चाहिये
   - गुणवत्ता सम्बन्धी मानकों का निर्धारण कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करना

२. **कच्चा माल प्रबंधन -** प्रस्तावित उत्पाद के उत्पादन में लगने वाली कच्चे माल का लागत मूल्य निश्चित कर नियमित क्रय की व्यवस्था करना |
   - कच्चे माल एवं आवश्यक उपकरणों की सामूहिक खरीद पर चर्चा
   - कच्चे माल की गुणवत्ता प्रबन्धन पर चर्चा
   - कच्चे माल के लिए उपयुक्त एवं तर्कसंगत बाजार पर चर्चा
   - कच्चे माल के गुणवत्ता के संधारण की दिशा में संभावित रणनीति एवं जरुरी संसाधनों पर चर्चा
   - कच्चे माल के भण्डारण एवं सुरक्षा की व्यवस्था पर चर्चा

३. **उत्पादकता में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी योजना -** उत्पादक समूह की उत्तरजीविता बनाये रखने हेतु उत्पादन के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होती है | इसके लिए नीचे वर्णित बिन्दुओं पर चर्चा आवश्यक है :-
   - समुदाय / समूह, उत्पाद को बनाने की पूरी प्रक्रिया में संलग्न है या किसी एक / दो भाग में शामिल है
   - फिर आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से हस्तक्षेप करने की योजना पर चर्चा
   - उत्पादन की प्रचलित विधि पर चर्चा एवं आने वाले समय में इसके संभावित मशीनीकरण / अद्यतन करने पर विस्तृत चर्चा
   - उत्पादन के प्रचलित विधि को अद्यतन कर उसे लाभकारी बनाने की उपाय पर चर्चा
   - सम्बंधित सदस्यों को अपेक्षित परिचयात्मक दौरा व प्रशिक्षण करने की चर्चा
   - सम्बंधित सदस्यों में उद्यमशीलता विकसित करने पर चर्चा

४. **उत्पादन के बाद की योजना सम्बन्धी -**
   - तैयार उत्पाद के भण्डारण की व्यवस्था पर चर्चा
   - तैयार उत्पाद की छंटनी, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग की व्यवस्था पर चर्चा
   - तैयार उत्पाद के स्टॉक को अंकित करना
   - तैयार उत्पाद को निर्धारित समय पर चिन्हित बाजार / एजेंसी तक पहुँचाना
   - उत्पादन के दौरान यदि कोई द्वितीयक उत्पाद तैयार हो तो उसके लिए बाजार / एजेंसी चिन्हित करने पर चर्चा

५. **विपणन एवं सूचना प्रबन्धन**

- तैयार उत्पाद के लिए विपणन के लिए एजेंसी चिन्हित करने की प्रक्रिया पर चर्चा
- बिक्रेता एवं संभावित क्रेता का पारस्परिक मेल कराना
- वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था पर भी चर्चा जिससे लाभ के आकार को बढाया जा सके
- बाजार से सम्बंधित अद्यतन सूचनाओं को एकत्र करना एवं सदस्यों तक पहुँचाना
- सम्बंधित उत्पादन से जुड़े हुए रोज़गार के अवसर ढूँढना ताकि समुदाय को अतिरिक्त लाभ पहुँचाया जा सके
- साथ ही जीविकोपार्जन में सहायक अन्य सेवाओं हेतु सरकारी /गैर-सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थाओं से सम्बद्ध कराना

६. **ज़ोखिम प्रबन्धन**

- सम्बद्ध सदस्यों के लिए बीमा की चर्चा
- उत्पादन क्रिया के आरंभ से लेकर लाभ वितरण प्रक्रिया के समाप्ति तक ज़ोखिम कम करने हेतु विशेषग्य की सेवा लेने पर चर्चा

उत्पादक समूह का प्रबंधन

उत्पादक समूह के प्रबंधन का लक्ष्य एक स्व- प्रबंधित लाभकारी संस्था बनाना है जिसके लिए यह आवश्यक है समूह के विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए पृथक् विभाग बनाया जायेगा और उत्पादक समूह के सदस्यों में उनके कार्यों का बंटवारा किया जाएगा | ऐसा करने से संसाधनों का इष्टतम /सर्वोत्कृष्ट उपयोग हो पायेगा और उत्पादक समूह के सामूहिक उदेश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा |

एक उत्पादक समूह को नीचे दिए गए विशेष क्षेत्रों में प्रबंधन करना चाहिए -

- वितीय प्रबंधन
- आगत प्रबंधन
- गुणवत्ता प्रबंधन
- विपणन प्रबंधन
- मानव-संसाधन का प्रबंधन
- विवाद निपटारा प्रबंधन
- जोखिम प्रबंधन

वितीय प्रबंधन-

उत्पादक समूह में एक वित्त उप-समिति बनाया जायेगा जो अधोलिखित गतिविधियों को नियंत्रित करेगी -

- संकुल स्तरीय संघ से उत्पादक समूह में वित्त का स्थानान्तरण करना -
  उत्पादक समूह अपने व्यवसाय हेतु वितीय योजना, संकुल स्तरीय संघ को प्रस्तुत करेगा एवं वित्त के लिए आवेदन करेगा | संकुल स्तरीय संघ के अनुमोदन के बाद उप-समिति के द्वारा ससमय वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी |
- उत्पादक समूह से संकुल संघ को ससमय ऋण वापसी सुनिश्चित करना -
  ऋण वापसी समय-सारणी का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक सदस्य ऋण वापसी के इस समय-सारणी का पालन करे | अर्थात् उत्पादक समूह से संकुल संघ को ऋण वापसी ससमय हो |
- ग्राहकों से भुगतान तथा उत्पादकों को मजदूरी -
  वितीय उप-समिति के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की उत्पादक समूह के बेचे गए सामग्री का भुगतान ग्राहकों से ससमय एकत्रित किया जाए तथा सम्बंधित उत्पादकों को मजदूरी ससमय का भुगतान किया जाए |
- वितीय लेखा-जोखा का अद्यतन -
  उत्पादक समूह में वितीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि समूह में किये गए प्रत्येक प्राप्ति-भुगतान का लेखा-जोखा नियमित तौर पर बही-खाता में अद्यतन किया जाए|
- अकाउन्टिंग के निर्धारित मानकों के आधार पर लेखा-जोखा तैयार करना
- बुक ऑफ़ रिकाईस की सूची रखना
- नियमित ऑडिट कराना
- स्टॉक का निर्धारित एजेंसी से नियमित वैलुएशन कराना

आगत प्रबंधन -

उत्पादक समूह के खरीददारी उप-समिति के सदस्यों की जिम्मेवारी होगी कि उत्पादन के लिए आवश्यक आगत सामग्रियों का बेहतर प्रबंधन करेगा, यथा -

- आगत सामग्रियों के लिए चिन्हित एजेंसी से जुड़ा रहेगा एवं उसके गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करेगा
- लगने वाले आगत कच्चे माल का मांग-आधारित सूची, वी आर पी की मदद से बनाना
- भण्डार-गृह में आगत सामग्रियों के भण्डारण एवं तत्सम्बन्धित बही रख-रखाव सुनिश्चित करेगा
- सभी सम्बद्ध सदस्यों को आगत सामग्रियों का माँग-आधारित वितरण सुनिश्चित करेगा |

गुणवता प्रबंधन -

विपणन उप-समिति और खरीददारी उप-समिति, वी आर पी की मदद से गुणवता प्रबंधन के लिए कार्य करेगा | इसकी जिम्मेवारिययाँ इस प्रकार होंगी -

- आगत सामग्रियों की गुणवत्ता जाँचना ताकि एकरूपता बनी रहे
- निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता जाँचना
- क्रेताओ के साथ लगातार संपर्क में रहना और उनके फीडबैक के अनुसार आगत सामग्रियों एवं निर्मित वस्तुओं के गुणवत्ता में सुधार करना

विपणन प्रबंधन-

उत्पादक समूह में एक विपणन उप-समिति का गठन किया जायेगा जो विपणन से सम्बन्धित सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेवार होगा | इसकी जिम्मेवारियां इस प्रकार होंगी -

- चिन्हित बाजार में तैयार माल की पहुंच सुनिश्चित करना
- तैयार माल का भुगतान, समुदाय में वितरण सुनिश्चित करना
- विपणन प्रकोष्ठ से समन्वय स्थापित कर विपणन के नए आयाम बनाना

मानव संसाधान प्रबंधन

सामाजिक-अंकेक्षण उप-समिति, निदेशक मंडल के सदस्यों के सहयोग से उत्पादक समूह में मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य करेगी | इनका कार्य निम्न प्रकार से होगा -

- **कैडर प्रबंधन** - कैडर, उत्पादक समूह के नित्य कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | उत्पादक समूह के लिए यह आवश्यक है कि वह सही व्यक्ति का चुनाव करे , उसे कार्य प्रदान करे और उसका मूल्यांकन करे | कैडर के क्षमता-वर्धन के लिए प्रशिक्षण की जरुरत का पता करना और जरुरी प्रशिक्षण दिलवाना ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि किया जाए |
- **उत्पादक समूह को पेशेवर बनांने हेतु तकनीकी संस्थाओं / परामर्शदाता का चुनाव**- उत्पादक समूह के क्रियाकलापों को पेशेवर तरीके से चलाने के लिए और इसके लाभ को बढ़ाने के लिए परामर्शदाता का चुनाव किया जाना चाहिये | इसके लिए विशिष्ट परामर्श हेतु प्रमुख संस्थाओ का चयन किया जायेगा | इन सेवाओं के लिए उत्पादक समूह, संकुल स्तरीय संघ को आवेदन देगा और इसकी मान्यता के बाद सही संस्था का चयन करके जीविका के समुदायिक प्रोक्योरमेंट नियमावली के अनुसार इन सेवाओ को लिया जा सकता है |

- **उत्पादक समूह के सदस्यों के बीच से क्षमतावान व्यक्ति की पहचान करके उसे उत्पादक समूह के लिए प्रमुख मानव संसाधन बनाना** - इसके लिए उत्पादक समूह ऐसे लोगो को प्रोत्साहित करके जिनका क्षमता-वर्धन करने के साथ इनको उत्पादक समूह के संसाधन के रूप में उपयोग करेगा

विवाद निपटारा -

पद-धारी सदस्य, निदेशक मंडल के सदस्यों के सहयोग से निम्नांकित विवाद निपटारा करेंगे :-

- **उत्पादक समूह के सदस्यों का आपसी विवाद निपटारा**

सदस्यो के आपसी विवाद निपटारे के लिए निदेशक मंडल, समूह के सदस्यों का सहयोग लेंगे | विवाद निपटारे के लिए नियम बनाये जायेंगे और सामूहिक निर्णय से आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया जायेगा |

- **कैडर का विवाद निपटारा**

यदि कोई कैडर, उत्पादक समूह द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नही कर रहा हो, तो निदेशक मंडल व पद - धारियों की राय से उचित निर्णय लिया जा सकेगा |

- **बाहरी संस्थाओ के साथ विवाद निपटारा -**

यदि सी एल एफ या उत्पादक समूह की किसी क्रेता / विक्रेता या अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के साथ विवाद हो, तो सी एल एफ , निदेशक मंडल एवं सामाजिक अंकेक्षण समिति इस विवाद को निपटायेगा | यदि लिया गया निर्णय किसी के लिए मान्य नहीं हो, इस स्थिति में जीविका के प्रखण्ड और जिला के प्रतिनिधि इस तरह के विवादों का निपटारा करने में सहायता करेंगे

एक सफल अगरबत्ती उत्पादक समूह का प्रारूप, जिससे पूरी परिकल्पना को समझने में सुगमता होगी

उत्पादक समूह का गठन

ग्राम-संगठन स्तर पर एकसमान आर्थिक गतिविधि वाले सदस्यों का एक पूर्णतः परिभाषित व पारदर्शी प्रणाली के तहत समावेशन जिसमें सभी की सहभागिता है, सभी की जवाबदेही है, एक बड़े हित के लिए एकजुटता है एवं जिससे लाभ कमा कर एक आत्मनिर्भर संस्था - **अगरबत्ती उत्पादक समूह** - की नींव डाली गयी है

उत्पादक समूह द्वारा पूँजी की माँग प्रस्तुत करना एवम् प्राप्त करना

- अगरबत्ती उत्पादक समूह, सम्बद्ध सी एल एफ से पूँजी प्राप्त करने के लिए अपने पद-धारियों से हस्ताक्षरित एक माँग-पत्र प्रस्तुत करता है
- प्रखण्ड परियोजना क्रिन्यान्वयन इकाई, माँग को स्वीकृत कर अपने जिला परियोजना समन्वयन इकाई को अग्रसारित करता है
- जिला परियोजना समन्वयन इकाई, माँग की समीक्षा करके राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में समबन्धित विभाग को अग्रसारित करता है
- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, तत्सम्बन्धित कागजी कार्य को जाँच कर वित्त विभाग को भेजते हैं जहाँ से पूँजी सी एल एफ को रिलीज़ कर दिया जाता है

आधारभूत संरचना का विकास

- बैंक अकाउंट खुलना
- सामूहिक सुविधा केंद्र का चयन
- सभी सम्बद्ध सदस्यों एवं वी आर पी/कैडर का प्रशिक्षण
- उत्पादक समूह के पद-धारियों का प्रशिक्षण
- आवश्यकतानुसार उप-समितियों व उप-समूहों का गठन एवं उनकी जिम्मेदारिओं का परिचय
- अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास

चित्र :- उत्पादक समूह के सदस्यों द्वारा अगरबत्ती निर्माण के बिभि चरण

चित्र :- अगरबत्ती भण्डार-गृह; ग्रेडिंग किया हुआ तैयार माल एवं तैयार माल को बाजार तक पहुँचाना

परिशिष्ट 1

1- उत्पादक समूह का नाम : .....
2- ग्राम का नाम : .....
3- प्रखण्ड का नाम : .....
4- जिला का नाम : .....
5- उत्पादक समूह के सदस्यों की सूची : .....

क्रम संख्या	उत्पादक समूह के सदस्यों का नाम	स्वयं सहायता समूह का नाम
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

6. उत्पादक समूह के बैंक खाते का विवरण :

क्रम सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	खाते का स्वरुप	बैंक में खाता चलाने हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम
				नाम
1				1
				2
				3

परिशिष्ट 2

उत्पादक समूहों को वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव का प्रपत्र

1. उत्पादक समूह का नाम
2. निहित आर्थिक गतिविधि का नाम
3. ग्राम-संगठन का नाम
4. उत्पादक समूह के गठन की तिथि
5. उत्पादक समूह का प्रमुख उद्देश्य
6. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की कुल संख्या

7. **बैंक खाते का विवरण :**

बैंक का नाम	खाता संख्या	खाता खोलने की तिथि	खाते के संचालन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम
			1.
			2.
			3.

8. **व्यापार योजना एवं वित्त पोषण के स्रोत :**

विवरण	वर्ष 1
उत्पादक सदस्यों की संख्या	
निवेश	
अ. कुल अपेक्षित निवेश	
वित्त पोषण के स्रोत	
सदस्यों का अंश दान	
ब. कुल संग्रहित निधि	
रिसोर्स गैप	
रिसोर्स गैप (अ - ब)	

9. अन्य विवरण यदि कोई हो

कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर **सचिव का हस्ताक्षर**

परिशिष्ट 3

उत्पादक समूहों के वित्त-पोषण हेतु प्रस्ताव के अंश के रूप में कार्य विवरण

1. उत्पादन योजना (मौसमवार/चक्रवार)

सदस्य के नाम	उत्पाद/उत्पादित सामग्री	उत्पादन क्षमता	उत्पादन की मात्रा	उत्पादित सामग्री का मूल्य
प्रथम मौसम/चक्र का कुल योग				
द्वितीय मौसम/चक्र का कुल योग				
सभी मौसमों/चक्रों का कुल योग				

2. तकनीकी सहायता में होने वाला व्यय

अ. संक्षिप्त विवरण दें :-

ब. खर्चा :-

	अनुमानित उत्पादन	इकाई कीमत	कुल कीमत
निवेश (उत्पादन योजना के आधार पर)			
a.			
b.			
c.			
तकनीकी का डेमोंस्ट्रेशन			
फील्ड ट्रायल			
कृषक फील्ड स्कूल			
तकनीकी निवेश			
a.			
b.			
प्रशिक्षण हेतु लगाये गए तकनीकी व्यक्ति का मेहनाताना			
कुल टी. ए खर्च			

ब. खर्चा :-

3. ग्राम-स्तर पर उत्पादन हेतु आधारभूत संरचना पर होने वाला व्यय

अ. संक्षिप्त विवरण :

ब. खर्चा :

इनपुट	**प्रकार**	**मात्रा**	**इकाई मूल्य**	**कुल व्यय**
लघु यन्त्र				
उपकरण एवं औजार				
टेस्टिंग उपकरण				
तोलन मशीन				
रख-रखाव सेवाएँ				
अन्य-1				
अन्य-2				
अन्य-3				
उत्पादन हेतु आधारभूत संरचना पर होने वाला कुल व्यय				

4. **इनपुट के सामूहिक खरीद के लिए कार्यकारी पूंजी [नगद भुगतान पर लाने के आधार पर**

अ. संक्षिप्त विवरण

ब. खर्चा

क्रम संख्या	सामग्री का विवरण	मांग-पत्र प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की संख्या	एक मौसम हेतु अपेक्षित मात्रा	प्रति मौसम फसल-चक्रों की संख्या	एक फसल-चक्र हेतु अनुमानित मूल्य
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

परिशिष्ट 4

उत्पादक समूहों के परिचालन हेतु व्यय (संकेतक सूची)

क्रम संख्या	शीर्ष	प्रति इकाई व्यय	इकाईयाँ	कुल व्यय
1.	**स्थापन व्यय (एक बार)**			
a.	फर्नीचर			8000
b.	स्टील का आलमारी			14000
c.	नगद-रक्षण बक्सा			2000
d.	श्याम पट			2000
e.	दरी-तिरपाल			6000
f.	मोबाइल हैंडसेट			2000
g.	तोलन मशीन (डिजिटल)			14000
h.	विविध			8000
	खण्ड A - कुल व्यय			56000
2.	**आवर्ती व्यय (वार्षिक)**			
a	कार्यालय परिसर एवं भण्डार-गृह भाड़ा + बिजली	2100	12	25200
b.	उत्पादक-समूह बैठक व्यय	300	24	7200
c.	वार्षिक सामान्य बैठक			3000
d.	प्रशासनिक व्यय			6000
e.	लेखन सामग्री व्यय			4000
f.	विविध			4600
g.	अंकेक्षण व्यय			4000
	खण्ड B - कुल व्यय			54000
	कुल व्यय (A+B)			**110000**